



बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

संचिका संख्या- 8/वि0 प्र0-02-07/2022 { 3939 }/लो.से.आ.

पटना, दिनांक- 08/01/2024

प्रेषक,

सचिव,
बिहार लोक सेवा आयोग,
पटना।

सेवा में,

सचिव,
कृषि विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-

कृषि विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार कृषि सेवा के कोटि-01 (शष्प) के वर्ग-2 (मूल कोटि) अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/सहायक निदेशक (शष्प) एवं समकक्ष के कुल-155, सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के कुल-11, सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) के कुल-19 एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के कुल-866 रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में।

प्रसंग-

सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-1093, दिनांक- 31.01.2022,
सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-12538, दिनांक- 03.07.2023
सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-12539, दिनांक- 03.07.2023
सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-17305, दिनांक- 13.09.2023
आयोग का पत्रांक-2380, दिनांक-06.10.2023
विभागीय पत्रांक-5415, दिनांक-30.10.2023
सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-23540, दिनांक- 29.12.2023
सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-23546, दिनांक- 29.12.2023
सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-408, दिनांक- 05.01.2024
सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-427, दिनांक- 05.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-23540, दिनांक- 29.12.2023, पत्रांक-23546, दिनांक- 29.12.2023, पत्रांक-408, दिनांक- 05.01.2024 एवं पत्रांक-427, दिनांक- 05.01.2024 द्वारा प्रेषित अधियाचना, नियमावली एवं संशोधित नियमावली तथा नये रोस्टर क्लीयरेंस के आधार पर समेकित विज्ञापन प्रारूप तैयार कर दिया गया है, जिसकी कंडिका-1 से 5 तक पर विभागीय अनुमोदन अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक-5415, दिनांक-30.10.2023 द्वारा प्राप्त विभागीय मंतव्य के आलोक में लिखित परीक्षा के लिए प्रश्नों की संख्या एवं परीक्षा की अवधि का उल्लेख विज्ञापन प्रारूप में कर दिया गया है, जिसपर विभागीय सहमति अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दु पर विभागीय सहमति के साथ आयोग द्वारा तैयार संलग्न विज्ञापन प्रारूप की कंडिका-1 से 5 तक पर विभागीय अनुमोदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि विज्ञापन प्रकाशन संबंधी आवश्यक अग्रतर कार्रवाई की जा सके। निदेशानुसार यहाँ स्पष्ट करना है कि विभागीय अनुमोदनोपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकेगा।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,


सचिव

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।



बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

कृषि विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की विज्ञापनवार विवरणी निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	विज्ञापन सं.	कोटि, पदनाम एवं वेतनमान	अनारक्षित (01)		अनुसूचित जाति (02)		अनुसूचित जनजाति (03)		अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)		पिछड़ा वर्ग (05)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (06)		कुल पद	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	दिव्यांग हेतु आरक्षित पद
			कोटिवार रिक्त की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्त की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्त की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्त की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्त की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्त की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या			
1.	/2024	बिहार कृषि सेवा कोटि-1 (शाष्य) अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/सहायक निदेशक (शाष्य) एवं समकक्ष Level-9	21	07	39	14	04	01	41	14	34	12	16	06	155	03	VI-02 DD-02 OH-02 MD-01
2.	/2024	बिहार कृषि सेवा कोटि-2 (कृषि अभियंत्रण) सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) Level-9	01	00	03	01	01	00	08	03	04	01	02	00	19	01	VI-00 DD-00 OH-00 MD-01
3.	/2024	बिहार कृषि सेवा कोटि-5 (पौधा संरक्षण) सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) Level-9	00	00	01	00	01	00	04 + 02 (बैकलॉग)	01	02	00	01	00	11	00	VI-00 DD-00 OH-00 MD-00
4.	/2024	बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-01 (शाष्य) प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष Level-7	219	77	175	61	17	06	219	77	149	52	87	30	866	17	VI-09 DD-09 OH-09 MD-08

नोट:-विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट-बढ़ सकती है।

2. शैक्षणिक योग्यता:-

क्र.सं.	कोटि एवं पदनाम	शैक्षणिक योग्यता
1.	बिहार कृषि सेवा कोटि-1 (शाष्य) अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/सहायक निदेशक (शाष्य) एवं समकक्ष	मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान/केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री। Shall be degree of bachelor in Agriculture Science (B.Sc. Ag.) from any recognized Agriculture University/ Institute/Central University (Agriculture Faculty.) कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अन्तर्गत अन्य संबंधित/सम्बन्धी विषय के स्नातक की डिग्री मान्य नहीं होगी।
2.	बिहार कृषि सेवा कोटि-2 (कृषि अभियंत्रण) सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)	मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/ संस्थान/केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से कृषि अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री।
3.	बिहार कृषि सेवा कोटि-5 (पौधा संरक्षण) सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण)	मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान/केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से Elective Plant Protection (पौधा संरक्षण) के साथ में स्नातक की डिग्री।
4.	बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-01 (शाष्य) प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी. कृषि) की डिग्री।

3. **उम्र सीमा** – 01.08.2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित (पुरुष)– 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित महिला–40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)–42 वर्ष।

परन्तु विज्ञापन संख्या– /2024, /2024 एवं /2024 के लिए विधिवत् नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को समान पद पर सीधी भर्ती के तहत नियमित नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक की छूट दी जायेगी, जितने वर्षों तक उनके द्वारा बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य किया गया हो, जो दिनांक–01.08.2023 को अधिकतम 60 वर्ष से अधिक न हो।

- (i) विज्ञापन संख्या– /2024, /2024 एवं /2024 के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक–212, दिनांक–23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक– 01.08.2015 से 01.08.2023 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं, भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे बशर्ते वे अन्य अहर्ताएँ पूरी करते हों एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

विज्ञापन संख्या– /2024 के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 212, दिनांक– 23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक– 01.08.2002 से 01.08.2023 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं, भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे बशर्ते वे अन्य अहर्ताएँ पूरी करते हों एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

- (ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–22218, दिनांक–12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक), जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।

- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–22218, दिनांक–12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे। उपर्युक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।

- (iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण-पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो।

- (v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 2447, दिनांक– 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

4. **चयन का आधार** – लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के आधार पर।

- (i) लिखित परीक्षा तीन विषयों की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी–100 अंक (एक पत्र), सामान्य ज्ञान–100 अंक (एक पत्र) एवं संबंधित विषय–200 अंक (दो पत्र) = 400 अंकों का होगा। विषयों के नाम, पूर्णांक, परीक्षा की अवधि, प्रकृति तथा पाठ्यक्रम निम्नलिखित सारणी के अनुसार होंगे:-

क्र. सं.	विषय	पत्र	पूर्णांक	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	परीक्षा की प्रकृति	पाठ्यक्रम
1.	सामान्य हिन्दी (General Hindi)	एक पत्र	100	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	विज्ञापन संख्या– /2024 से /2024 तक के लिए हिन्दी तथा सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विनिश्चित है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
2.	सामान्य ज्ञान (General Knowledge)	एक पत्र	100	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	
3.	बिहार कृषि सेवा कोटि-1 शब्द (Agronomy)	प्रथम पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	विज्ञापन संख्या– /2024 के लिए शब्द का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-1 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Agronomy के लिये निर्धारित किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
		द्वितीय पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	

क्र. सं.	विषय	पत्र	पूर्णांक	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	परीक्षा की प्रकृति	पाठ्यक्रम
4.	बिहार कृषि सेवा कोटि-2 कृषि अभियंत्रण (Agri. Engg.)	प्रथम पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	विज्ञापन संख्या- /2024 के लिए कृषि अभियंत्रण का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-2 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Agri. Engg. के लिये निर्धारित किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
		द्वितीय पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	
5.	बिहार कृषि सेवा कोटि-5 पौधा संरक्षण (Plant Protection)	प्रथम पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	विज्ञापन संख्या- /2024 के लिए पौधा संरक्षण का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-5 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Plant Protection के लिये निर्धारित किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
		द्वितीय पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	
6.	बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-01 कृषि विज्ञान	प्रथम पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	विज्ञापन संख्या- /2024 के लिए कृषि विज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-1 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Agronomy के लिये निर्धारित किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
		द्वितीय पत्र	200	100	दो घंटा	वस्तुनिष्ठ	

➤ उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों के सामान्य हिन्दी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किन्तु इसके प्राप्तांक की गणना मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी। सामान्य हिन्दी विषय में 30 अंक न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक होगा।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-2374 दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706, दिनांक-01.10.2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चौतीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(iii) लिखित परीक्षा में संबंधित विषय पत्र तथा सामान्य ज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 की कंडिका-10 के आलोक में साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के ढाई गुणा होगी। कोटिवार समान कट-ऑफ-अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जायेगा।

(iv) साक्षात्कार :- लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 50 अंकों का साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) होगा।

(v) लिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अन्यथा वे अंतिम परीक्षाफल हेतु बनाये जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।

(vi) विज्ञापन संख्या- /2024, /2024 एवं /2024 की मेधा सूची :- लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) में प्राप्त अंकों के योग एवं समान पद पर संविदा नियोजन के तहत की गई कार्य अवधि के लिए अधिमानता देते हुए की जायेगी।

➤ चयन के लिए अंकों की अधिमानता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:-

(क) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता - 75 अंक

(ख) बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर किये गये कार्य अवधि की अधिमानता - 25 अंक

(संविदा नियोजन के प्रत्येक एक वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक होगी)।

नोट:- संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर कृषि निदेशक के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। इस हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक संविदा के आधार पर कार्य किये गये अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जायेगी।

➤ उदाहरणस्वरूप लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) का कुल पूर्णांक 550 है एवं कोई भी संविदा कर्मी अभ्यर्थी इसके विरुद्ध 300 अंक प्राप्त करते हैं, तो अंकों की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी:-

$$\frac{300 \text{ (कुल प्राप्तांक)} \times 75}{550 \text{ (कुल पूर्णांक)}} + \text{प्रत्येक एक वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक अधिमानता की अंक होगी।}$$

इस प्रकार 40.90 अंक + अगर कोई संविदा कर्मी नियमावली के अनुरूप 2 वर्ष समान पद पर कार्य किये हैं, तो 40.90+10=कुल 50.90 को उनके कुल प्राप्तांक के आधार पर अधिमानता दी जायेगी।

(vii) विज्ञापन संख्या- /2024 की मेधा सूची लिखित एवं साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर सामान्य तथा प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए अलग-अलग मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(viii) इस विज्ञापन के अन्तर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

5. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (ii) सम्प्रति राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र महिला एवं दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत ही देय होगा। इन्हें अन्य कोई आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (iii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iv)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (a) जाति प्रमाण-पत्र
- (b) स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी/अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।
- (v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि	कोटि कोड
1.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC	02
2.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	ST	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	06

- (vi) (क) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-962, दिनांक- 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांग (Persons with Benchmark Disability) को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Civil Surgeon/CMO द्वारा निर्गत) समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या- 10668, दिनांक 29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा- 2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) (40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के कंडिका- 3 में श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2342, दिनांक- 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 02% क्षैतिज आरक्षण

देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।

- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 एवं पत्रांक-12123, दिनांक-23.07.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम, 15/2023 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों (पुरुष/महिला) को ही देय होगा। उक्त पत्रों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हैं। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (EWS) निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

- (x) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

सभी वांछित प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-..... तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि अतिरिक्त शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है, तो उससे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।

नोट:-(1) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

नोट:-(2) आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

- (i) मैट्रिक का प्रमाण-पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।
- (ii) स्नातक का प्रमाण पत्र (विज्ञापन की कडिका-2 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
- (iii) स्नातक का अंक पत्र (विज्ञापन की कडिका-2 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
- (iv) बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर किये गये कार्यरत अवधि का विनिश्चय हेतु संबंधित नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर कृषि निदेशक के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
- (v) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र) (दावा करने की स्थिति में)।
- (vi) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)। (दावा करने की स्थिति में)।
- (vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
- (viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र)। (दावा करने के स्थिति में)।
- (ix) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (दावा करने के स्थिति में)।
- (x) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
- (xi) दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र। (दावा करने के स्थिति में)।
- (xii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र।

- (xiii) बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।
- (xiv) भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
- (xv) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
- (xvi) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हों तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
- (xvii) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।
- (xviii) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर (अधिकतम एक सप्ताह) देते हुए औपबधिक रूप से साक्षात्कार में भाग लेने की सशर्त अनुमति दी जायेगी। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया/परीक्षा के प्रारंभ से लेकर अब तक के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा, अन्यथा उसे असफल एवं अयोग्य घोषित कर उसे काली सूची में दर्ज किया जा सकता है।